बिहार सरकार

कार्यालय आरा नगर निगम, आरा

विज्ञापन संख्या 3/2012

आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी 45 वार्डो के भवनो से होल्डिंग कर वसूली हेतु चार प्रतिशत कमिशन पर 45 कर–संग्राहकों का नियोजन किया जाना है। इस संबंध में पूर्व से नियोजित रोस्टर के विभिन्न कोटियों के कुल 17 कर–संग्राहकों का समायोजन करते हुए वर्तमान में कुल 28 (अठाईस) कर संग्राहकों का नियोजन किया जाना है। इस कार्य हेतु जो भी व्यक्ति ईच्छुक हों वे निम्नलिखित प्रपत्र एव शर्त्तो के आधार पर अपना आवेदन दिनांक 25.09.2012 तक डाक के माध्यम से निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

आवेदन का प्रपत्रः–

स्व अभिप्रमाणित फोटो चिपकाए

1. आवेदक का नामः–
2. पिता / पति का नामः–
3. जन्म तिथिः–
4. वर्तमान पता (दूरभाष / मोबाईल संख्या सहित):–
5. स्थायी पता:–
6. शैक्षणिक योग्यता पूर्ण विवरण के साथ प्रमाण–पत्रों की छाया–प्रति संलग्न करें:–
8. जाति / चरित्र (प्रमाण–पत्र संलग्न करें):–

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

शर्तें:–

1. उपरोक्त 28 (अठाईस) कर संग्राहकों के लिए रोस्टर के अनुसार निम्न रूप से आरक्षण दिया जाएगा:–समान्य–13, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–7, अनुसूचित जाति–4, पिछड़ा वर्ग–2, पिछड़ा वर्ग महिला–1, अनुसूचित जनजाति–1. 2. आवेदन पत्र के साथ आवासीय जाति एवं चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. 3. चयनित आवेदक को जमानत के रूप में मो.–20000.00 (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त आरा नगर निगम के पदनाम से समर्पित करना होगा. 4. इस पद की उम्र सीमा (18–40) वर्ष के बीच होनी चाहिए. 5. इस पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमिडिएट निर्धारित है तथा मेधा सूची मैट्रीक एवं ईन्टर के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत में 2 से भाग देने पर जो प्रतिशत आयेगा उसके आधार पर तैयार किया जायेगा. 6. आवेदन पत्र के साथ 500.00 (पाँच सौ) रूपयें का बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, आरा नगर निगम के पदनाम से संलग्न करना होगा जो वापस नही होगा. 7. आरा शहर एवं उसके आस–पास के क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी. 8. यह नियोजन बिल्कुल ही अस्थाई रूप अर्थात मात्र ग्यारह माह के लिए होगा आवश्यकतानुसार नियोजित व्यक्ति की सेवा अवधि विस्तार करने पर विचार किया जा सकेगा. 9. नियोजित व्यक्ति को उनके द्वारा प्रतिमाह टैक्स वसूली की गई राशि की 4 प्रतिशत की राशि कमीशन के रूप में देय होगा. 10. नियोजित कार्य संतोषजनक नही होने पर यह नियोजन समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। नियोजित व्यक्ति का भविष्य में किसी भी तरह का दावा अनुमान्य नही होगा। साक्षात्कार आदि के लिए किसी भी तरह का यात्रा–भत्ता अनुमान्य नही होगा. 11. इस विज्ञापन को किसी भी समय बगैर कारण दर्शाये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

नगर आयुक्त
आरा नगर निगम, आरा

पी.आर. नं. - 6742 (नि.नि.) 12-13

याद रखें-बिना प्राप्ति-रसीद के लिया-दिया गया धन घूस है

बिहार सरकार

कार्यालय, बिहारशरीफ नगर निगम, नालन्दा

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा निम्नांकित सफाई उपस्करों की खरीद करने का निर्णय लिया गया हैं, वांछित उपकरणों की आपूर्त्ति हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठानों से दिनांक 21.09.2012 को पूर्वाहन 12 बजे तक मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निधारित तिथि एवं समय के बाद निविदाएँ स्वीकार नहीं की जायेंगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दिनांक 21.09.2012 को अपराह्न 3.00 बजे नगर निगम की कय समिति के समक्ष खोली जायेंगी।

प्रस्तावित खरीद से संबंधित उपकरण की विवरणी निम्न प्रकार हैं :–

कमांक	मशीन/उपकरण का नाम	संख्याँ
01.	ट्रैक्टर 25 एच0पी0 एक सिलिन्डिर हाईड्रोलिक ड़ाला सहित।	02 अदद
02.	बैंवकैट लोड़र, एक्सवेटर सहित	01 अदद
03.	हैण्ड़ ट्राली (हाथ ठेला गाड़ी) लोहे का चक्का 2 फीट ढाँचा का	75 अदद
04.	पानी टैंकर 3000 (तीन हजार लीटर क्षमता)	02 अदद
05.	हाईड्रोलिक सीढ़ी युक्त वाहन	01 अदद

निविदा की शर्तें:–

01. इच्छुक फर्म/निविदादाता तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शीलबंद लिफाफे में होना चाहिए।
02. सर्वप्रथम तकनिकी निविदा खोली जायेगी, उसमें सफल निविदादाताओं के हीं निविदा पर विचार किया जायेगा।
03. तकनिकी निविदा में निम्नलिखित कागजात रहेंगे:–
    - (क) संबंधित उपस्कर/मशीन की कीमत का 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफट, जो नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम के नाम से देय एवं भुगतेय होगा, तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
    - (ख) वाणिज्य कर अधिनियम के तहत निबंधन का प्रमाण–पत्र एवं वैट का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र।
    - (ग) आयकर दाता होने का प्रमाण–पत्र।
    - (घ) उद्योग विभाग में निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र।
    - (ड़) बिहार राज्य में पूर्व में की गई आपूर्त्ति का प्रमाण–पत्र।
04. वित्तीय निविदा में सामग्री का सभी करों सहित न्यून्तम मूल्य अंकित किया जाय, जिसमें सामग्री की मुख्य विशेषताएँ स्पष्ट रुप से अंकित होगी।
05. सफल निविदाकारों को उनके द्वारा समर्पित दर एवं विशिष्टियों के अनुरुप नगर निगम द्वारा निधार्रित समय–सीमा के अन्दर सामग्री की आपूर्ति करने संबंधी एकरारनामा दाखिल करना होगा।
06. आपूर्तिकर्त्ता को स्वीकृत निविदा की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान आपूर्ति के तुरंत वापस कर दिया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान आपूरित सामग्री की गुणवत्ता की जाँच के उपरांत किया जायेगा। भुगतान के समय करों की कटौति श्रोत पर की जायेगी।
07. सामग्री को बिहारशरीफ नगर निगम में पहुँचाकर आपूर्ति करने का परिवहन व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता को करना होगा।
08. अपरिहार्य परिस्थिति में किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें अस्वीकृत करने का अधिकार कय समिति के पास सुरक्षित होगा।

नगर आयुक्त
बिहारशरीफ नगर निगम।

पी.आर.-6774 (नि.नि.) 12-13

सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है। धर्म-ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।

बिहार सरकार

कार्यालय, बिहारशरीफ नगर निगम, नालन्दा

अल्पकालीन सूचना का प्रकाशन :–

बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सुभाष पार्क में म्यूजिकल लाईट एवं फब्बारा तथा दस कूड़ेदान (भिन्न–भिन्न कोटी का) मध्यम आकार की आवश्यकता हैं।

इस हेतु इच्छुक व्यकितयों/आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक 21.09.2012 के अपराह्न 12.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में मुहरबंद कोटेशन निम्न शर्त्तों के अधीन आमंत्रित किया जाता है।

शर्ते निम्न प्रकार है :–

01. निविदादाता को वाणिज्यकर एवं आयकर दाता के रुप में निबंधित होना चाहिए।
02. निविदा के साथ सुरक्षित जमा राशि के रुप में नगर आयुक्त बिहारशरीफ नगर निगम के पक्ष में मो0–10000/–(दस हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जिसे गारंटी अवधि तक संतोषप्रद ढ़ंग से कार्य संपादन के उपरांत लौटाने पर विचार किया जायेगा।
03. निविदत दर वैट सहित अंकित होना चाहिए।
04. निविदादाता को आपूर्त्ति की गयी सामग्री की न्यूनतम एक वर्ष की गारंटी तथा उसका मेनटेन करना होगा।
05. निविदाएं दिनांक 21.09.2012 को उसी दिन अपराह्न 3 बजे नगर निगम के सभागार में निविदाकारों अथवा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित में खोली जायेगी, यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को निविदा को नहीं खेली जा सकी तो वैसी स्थिति में पुनः दिनांक 22.09.2012 को निविदा को खेली जायेगी।
06. सफल निविदाकारों को छोड़ कर अन्य निविदादाताओं की सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
07. सफल निविदाकार को सामग्री की आपूर्त्ति नगर निगम कार्यालय में करना होगा, जिसके लिये अलग से भाड़ा देय नहीं होगा।
08. निविदा ड़ालने के पूर्व इच्छुक निविदादाता सुभाष पार्क में म्यूजिकल फब्बारा अधिष्ठापित स्थल का निरीक्षण कर लें।
09. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा निविदा प्रकिया को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

नगर आयुक्त
बिहारशरीफ नगर निगम

पी.आर.6772 (नि.नि.) 12-13

जनता को तंग क्या करना, जाना जेल और पानी भरना।

बिहार सरकार

कार्यालय नगर परिषद बीहट

निविदा सूचना सं. :– 01/2012–13
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि:– 26.09.12
निविदा प्रकाशन की तिथि:– 06.09.12

सशक्त स्थायी समिति नगर परिषद बीहट की बैठक दि. 24.07.12 में लिए गए निर्णय के आलोक में नगर परिषद बीहट के सभी वार्डों में 04–04 चापाकल अर्थात 30x4=120 चापाकल का अधिष्ठापन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त विधि के आलोक में कराया जाना है।

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता : कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बीहट।
2. परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय : 10.09.12 से 26.09.12 तक (सिर्फ कार्यालय अवधि में 3:00 बजे अपराहन तक)
3. निविदा खोलने की तिथि, समय, स्थान : दि. 26.09.12 के अपराहन 3:00 बजे तक। (नगर परिषद बीहट का कार्यालय)
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दि. 26.09.12 को 3:30 बजे अपराहन।
5. परिमाण विपत्र की बिकी का स्थान : नगर परिषद बीहट का कार्यालय।
6. कार्य विवरणी

क्र.	कार्य का नाम	मद	प्राक्कलित राशि(रू.)	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्यपूर्ण करने की अवधि
01	02	03	04	05	06	07
01.	नगर परिषद बीहट के प्रत्येक वार्ड में 04–04 चापाकल का अधिष्ठापन कुल: 30x4=120 चापाकल	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि	19,00,080/–	38000/–	4000/–	45 (पैंतालीस) दिन

निविदा की शर्तें :

1. तकनीकी एवं वित्तिय निविदा अलग–अलग लिफाफे में होना चाहिए।
2. तकनीकी निविदा में आयकर पैन कार्ड, अद्यतन सफाया प्रमाण पत्र, वैट निबंधन एवं भुगतान से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा।
3. गुणवत्ता प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना होगा।
4. न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. 10 प्रतिशत राशि गुणवत्ता देखते हुए छः माह बाद भुगतान की जाएगी।
6. सभी निविदादाता अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि अलग अलग बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बीहट के पदनाम से देय होगा जो भारतीय स्टेट बैंक, बरौनी फर्टिलाइजर टाउन शीप में देय होगा।
7. 1 प्रतिशत की राशि श्रमिक कल्याण कोष हेतु शेष के रूप में काटी जाएगी।
8. आवंटन प्राप्त होने पर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बेगूसराय होगा।
10. निविदादाता वित्तीय निविदा में सामग्री की वारंटी/गारंटी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।
11. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद बीहट

पी.आर.-6854 (नि.नि.) 12-13

काम करने के एवज में सरकारी सेवक वेतन पाते हैं... घूस नहीं, कभी नहीं।